राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
न्यू.आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
#राजस्थान_सतर्क_है

क्रमांकः एफ8(349)सूप्रौ/सामान्य/19/ML-316 दिनांक : 20/4/2020

आदेश

राज्य में कोरोना (COVID-19) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए समस्त प्रदेश में दिनांक 20.04.2020 से दिनांक 03.05.2020 तक मोडिफाईड लॉकडाउन (Lockdown) किया गया है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 15.04.2020 को जारी गाइडलाइन एवं राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार गृह विभाग के आदेश क्रमांक एफ33(2)गृह/जीआर. 9/2019 दिनांक 15.04.2020 के अनुक्रम में दिनांक 20.04.2020 से लॉकडाउन में आंशिक रूप से सशर्त कार्यालय खोलने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त क्रम में विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में निम्न प्रकार निर्देश है :–

1. विभाग में पदस्थापित समस्त एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उपनिदेशक) एवं उससे उच्च अधिकारी नियमित रूप से कार्यालय समय में उपस्थित होंगे।
2. ई–मिशन (eMission) टीम के सदस्य व सलाहकार आदि वैकल्पिक दिवस (शनिवार सहित) कार्यालय समय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेगें।
3. विभाग में पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों आवश्यक्तानुसार घर से ही कार्य (Work from Home) करना सुनिश्चित करेगें। समस्त अधिकारी/कर्मचारी दूरभाष पर उपलब्ध रहेगें एवं आवश्यकता होने पर उन्हे कार्यालय बुलाया जा सकता है।
4. इस दौरान किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विशेष या अपरिहार्य स्थिति के अलावा कोई अवकाश या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
5. विभाग में पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारी जो शहर के कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में अथवा राज्य के अन्य किसी भी क्षेत्र के कर्फ्यूग्रस्त या कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्र मे रहते है, को आगामी आदेश तक कार्यालय मे उपस्थित होने की अनुमति नहीं हैं।
6. इस दौरान विभाग में बड़ी बैठक जिसमें 10 से अधिक अधिकारी/कर्मचारी शामिल होने की संभावना हो आयोजित नहीं की जायेगी।
7. मोडिफाइड लॉकडाउन के दौरान आमजन का विभाग में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। दूसरे राजकीय कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों को जॉच पश्चात् आवश्यकतानुसार अनुमति दी जायेगी।
8. कार्यालय में उपस्थित होने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालय में कोरोना से बचाव हेतु **Wearing of Mask & Social Distancing** की सख्ती से पालना करना सुनिश्चित करे।

20/4/2020

सूचना प्रौद्योगिकी भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर – 302005 राजस्थान
फोन : 0141.2224855ए फैक्स : 0141-2222011, Web: http://doitc.rajasthan.gov.in

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
न्यू.आई.टी. बिल्डिग, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
#राजस्थान_सतर्क_है

9. समस्त अधिकारी/कर्मचारी को विभागीय पहचान–पत्र पहनना अनिवार्य है एवं कार्यालय में प्रवेश द्वार पर तापमान की जांच पश्चात् हाथों को सेनेटाईज करे। साथ ही रेलिंग, वॉल को स्पर्श नही करे एवं लिफ्ट (Lift) का कम से कम उपयोग करे।

कोरोना (COVID-19) के संक्रमण को फैलने से रोकने में जिन अधिकारियो/कर्मचारियों की वार रूम (War Room), 181 हेल्पलाईन, वीसी एवं नेटवर्किंग, डाटा सेन्टर, ई–बाजार, GIS, RSMP (RajConnect) आदि में लगी हुई ड्यूटियों में उपरोक्त आदेश लागू नही होगा।

अतः विभाग में दिनांक 20.04.2020 से मोडिफाईड लॉकडाउन के दौरान कोरोना से बचाव चिकित्सकीय मापदण्डों का पालन एवं उपर्युक्तानुसार उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए राजकीय कार्य संपादित करेगें।

अभयकुमार 20/4/2020
(अभय कुमार)
प्रमुख शासन सचिव एवं सी.एम.डी.
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार एवं
आयोजना विभाग

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सू.प्रौ और संचार विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक तकनीकी, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
4. तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
5. समस्त ग्रुप हैड, सू. प्रौ. और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
6. प्रभारी अधिकारी वेबसाईट, सू. प्रौ. और संचार विभाग जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव

सूचना प्रौद्योगिकी भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर – 302005 राजस्थान
फोन : 0141.2224855ए फैक्स : 0141-2222011, Web: http://doitc.rajasthan.gov.in

Scanned with CamScanner